

स्पीड पोस्ट / वेबसाइट



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
Cariappa Road, Lucknow Cantt – 226002

कार्यालय दूरभाष सं. 0522-2455283
Office Phone No.-0522-2455283

कार्यालय फैक्स सं. 05222451993
Office Fax No.-0522-2451993

E-Mail ID: cda-luck@nic.in

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2016-17

दिनांक: 25/10/2016

सेवा में

प्रभारी अधिकारी ,

- | | |
|---|---|
| (1) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.) ईलाहाबाद | (5) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.) कानपुर |
| (2) वे.ले.का. 39जी.टी.सी. वाराणसी | (6) वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़ |
| (3) वे.ले.का. एस.एल.आई. फतेहगढ़ | (7) प्रशासन-1अ अनुभाग (स्थानीय) |
| (4) वे.ले.का. 11जी.आर.आर.सी. लखनऊ | (8) प्रशासन-1ब अनुभाग (स्थानीय) |

विषय: क्षे.प्र.के.लखनऊ प्रशिक्षण: प्रशासन एवं स्थापना (Administration & Establishment)
पर पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार दिनांक 02/11/2016 से 04/11/2016 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए मक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1.	रवींद्र कुमार यादव	8341519	व.ले.प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.) ईलाहाबाद
2.	बैभव बर्धन	8320013	व.ले.प.	वे.ले.का. 39जी.टी.सी. वाराणसी
3.	तरुण बहल	8341649	लिपिक	वे.ले.का. 39जी.टी.सी. वाराणसी
4.	संजय कुमार	8324623	स.ले.अ.	वे.ले.का. एस.एल.आई. फतेहगढ़
5.	सचिन	8339902	व.ले.प.	वे.ले.का. एस.एल.आई. फतेहगढ़
6.	संतोष पांडे	8334541	स.ले.अ.	वे.ले.का. 11जी.आर.आर.सी. लखनऊ
7.	अर्पित यादव	8341807	ले. प.	वे.ले.का. 11जी.आर.आर.सी. लखनऊ
8.	सर्वेश शर्मा	8337549	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.) कानपुर
9.	जे पी शर्मा	8328533	स.ले.अ.	वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़
10.	मानवेंद्र सिंह	8341763	ले. प.	वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़
11.	अरविंद कुमार वर्मा	8345089	व.ले.प.	मुख्य कार्यालय लखनऊ
12.	पीयूष कुमार यादव	8345083	व.ले.प.	मुख्य कार्यालय लखनऊ

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाए।
3. कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने कार्यालय से कार्य मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

— ६ —

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रशासन 1अ अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
 ✓(2) स्वचलन कक्ष : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
 (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

व. लेखा अधिकारी

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग	वर्ग	वर्ग
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					